राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामजीलाल बनाम कैलाश

तारीख हुक्म	521/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/04/2021	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने उपस्थित होकर कथन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम रूप से निस्तारण हो चुका है, ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है | अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे | चूँकि अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों के परिपेक्ष्य में इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब क़ानूनी प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है | अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है | तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |	